सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 15, मंगलवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 06, 2022 *Agrahayana 15 Tuesday , Saka 1944- December 06, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2022

संख्या:- एफ 1(38)परि/स्था/92/ 29067:-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(38)परि/स्था/92/पार्ट-1/23735 दिनांक 06.10.2022 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार श्री किशोर कुमार, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को एतद् द्वारा जयपुर-प्रथम, जयपुर -द्वितीय, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौडगढ, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अन्तर्गत ट्यूरिस्ट परमिट को छोडकर सभी प्रकार के परिवहन यानों के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सोहन लाल मीना,
शासन उप सचिव (परिवहन)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।